# न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजनगर,जिला–सूरजपुर,(छ.ग.)

रा.प्र.क.–202505263400026 / अ–62 / 2024–25

बंशधारी सिंह निवासी ग्राम–कमलपुर
तह0 रामानुजनगर,जिला–सूरजपुर,(छ.ग.)

...................आवेदक

प्रति

छ.ग. शासन

...............अनावेदक

/ /आदेश/ /

(पारित दिनॉकः–14/07/2025)

यह प्रकरण आवेदक श्री बंशधारी निवासी ग्राम कमलपुर तहसील रामानुजनगर,जिला–सूरजपुर, (छ.ग.) के द्वारा ग्राम पंचायत कमलपुर प.ह.नं. 05 रा.नि.म. देवनगर के द्वारा सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन क्रमांक 25143280800050 के माध्यम से इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम कमलपुर में स्थित प्रा. शा./मा.शा. के प्रांगण में लगे वृक्ष प्रजाति निलगीरी के वृक्षों की कटाई कराने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रारम्भ किया गया।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। पटवारी ग्राम कमलपुर के द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनॉक–06/06/2025 में उल्लेख किया है कि ग्राम कमलपुर में स्थित प्रा.शा./मा.शा. ख.न. 962 रकबा 1.51हे0 के अंश रकबा, 963–0.17हे0 व 964–0.06हे0 पर बना है। ख.नं. 962 व 963 छोटे झाड़ का जंगल मद में वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। ख.नं. 964 रकबा 0.06हे. हुबलाल पिता शिवमंगल गोंड़ के नाम पर दर्ज है। ख.नं. 963 में निलगिरी वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे हैं। ख.नं. 964 में 02 निलगिरी वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे हैं। हुबलाल पिता शिवमंगल सिंह मौका पर उपस्थित रहे एवं ग्रामवासियों व अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर लिया गया।

3. हल्का पटवारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ मौका पंचनामा संलग्न किया गया है। छ.ग. राजपत्र (असाधरण) के अधिसूचना दिनॉक–11 फरवरी 2022 के कण्डिका 08 रोपित वृक्षों कटाईः–(1) छ.ग. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9

सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियत, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ.ग. परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वमी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों कि कटाई राजस्व अभिलेखेां में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।''

चूंकि सभी वृक्ष हरे–भरे व जीवित है एवं वृक्ष शासकीय भूमि पर स्थित है। शासकीय भूमि पर उगे वृक्ष पर आवेदक का कोई स्वत्व प्रभावित नहीं है। खसरा कमांक 964 शिवमंगल की भू–स्वामित्व भूमि पर 02 वृक्ष है जिसमे आवेदक का कोई अधिकार नहीं है। शासकीय भूमि में उगे वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति प्रदान करने योग्य नहीं है।

आज दिनॉक– /06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा सहित आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उदघोषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रामानुजनगर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)
रामानुजनगर,दिनॉक 14/07/2025

पृ.क्र./1059/वाचक–3/2025
प्रतिलिपि,

1. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर,छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. तहसीलदार रामानुजनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वनपरिक्षेत्राधिकारी रामानुजनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेत।
4. आवेदक बंशधारी निवासी ग्राम कमलपुर तह0 रामानुजनरग,जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रामानुजनगर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)